

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 46 / जोधपुर / 2005-06

यह प्रमाणित किया जाता है कि डी. जी. जे.
रजिस्ट्रेशनल सोसायटी 94 फाकार कॉलोनी

जोधपुर जिला जोधपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज
किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक पांच माह मई सन् 2005

को जोधपुर में दिया गया।



(रजिस्ट्रार संस्थाएं)
जोधपुर